न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0 08/2021
धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत।

प्रथम पक्ष चतुर सिंह पिता मनबोध सिंह सा0 कुदा .....।

बनाम

द्वितीय पक्ष – गजाधर ओहदार पिता स्व0 फिरन ओहदार ..... बगैरह।

1
23/3/21

वाद की कार्यवाही थाना प्रभारी, कामडारा के अप्राथमिकी सं0 02/2021 दिनांक 03/05/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा कामता स्थित खाता सं0 55, प्लॉट सं0 1120, रकबा 0.10 एकड़ भूमि में **प्रथम पक्ष** (1) चतुर सिंह पिता मनबोध सिंह सा0 कुदा थाना कामडारा जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) गजाधर ओहदार पिता स्व0 फिरन ओहदार सा0 बक्सपुर (2) कशिला देवी उम्र 55 वर्ष पति गजाधर ओहदार सा0 बक्सपुर थाना कामडारा जिला गुमला के बीच उक्त भूमि में अपना दखल कब्जा एवं मकान बनाने को लेकर दोनो पक्षो के बीच तनाव बना हुआ है । फलस्वरूप शांति भंग होने संबंधी प्रतिवेदन थाना काडारा द्वारा कि गया है। थाना प्रभारी पालकोट के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए दं0प्र0सं0 की धारा 144 प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, कामडारा से उक्त वादगत् भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मांग किया गया। जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न प्रकार है:–

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जवाब एंव कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि मौजा कामता थाना कामडारा जिला गुमला अन्तर्गत खाता सं0 55 प्लॉट सं0 1120 रकबा 0.10 एकड़ भूमि जो विवाद है इस जमीन पर चतुर सिंह के मॉ स्व0 अघनी देवी और लोहरा सिंह के बीच बंटवारा वाद सं0 07/91 चला था जिसका फैसला माननीय सब जज III गुमला के द्वारा दिनांक 21/04/95 को आवेदक की मॉ अघनी देवी के पक्ष में फैसला हुआ जिसका अपील नं0 26/95 लोहरा सिंह द्वारा किया गया था उस अपील में भी लोहरा सिंह हार गये। लोहरा सिंह द्वारा अपील हारने के बाद कोई केश नहीं किया गया और प्लॉट सं0 1120 के साथ अन्य प्लॉटो पर भी सब जज के आदेश से इजराय वाद सं0 01/2009 में दखल देहानी दिया गया इस तरह से अघनी देवी का हक दखल सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है। लोहरा सिंह को मुकदमा के लम्बीत रहते बेचने का हक नहीं था यदि बेचा तो लीस पेन्डेन्स द्वारा बाधित है और वह पट्टा स्वतः निरस्त समझा जाएगा। यहॉ तक विपक्षी के नाम पर दाखिल खारिज का प्रश्न है तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों द्वारा

अनुमण्डल दण्डाधिकारी

कहा गया है कि दाखिल खारिज द्वारा किसी पक्ष का टाईटल नहीं बनता है कानून दृष्टि में दाखिल खारीज का कोई महत्व नहीं है। विपक्षी तकरारी जमीन को 06/04/2000 को खरीद किया है जबकि लोहरा सिंह पार्टीशन सूट सं0 07/91 में 21/04/1995 को ही मुकदमा हार चुका था और उसका अधिकार समाप्त हो चुका था। जहॉ तक 144 का प्रश्न है तो यह दफा शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए है जहॉ न्यायापालिका द्वारा फैसला हो चुका हैं कार्यापालिका द्वारा कार्यान्वीत कराना न्यायालय का उत्तदायित्व है दफा 144 में किसी का हक हकियत का आदेश नहींहोता है।

प्रथम पक्ष द्वारा निम्न कागजात प्रस्तुत किया गया है।

1. न्यायालय Sub judge III gumla Partition suit no. 07/1991
2. न्यायालय सत्र जज II गुमला Execution case No. 01/2009 की छाया प्रति।
3. इजराय वाद सं0 01/2009 की छाया प्रति।
4. नामांतरण शुद्धि पत्र की छाया प्रति ।
5. न्यायालय ADDITIONAL DISTRICT AND SESSION JUDGE Title Appliction 26/95 आदेश की छाया प्रति।
6. लगान रसिद की छाया प्रति।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जवाब एवं कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि मौजा कामता थाना कामडारा जिला गुमला अन्तर्गत खाता सं0 55 प्लॉट सं0 1120 रकबा 0.10 एकड़ भूमि विवादत बताया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित जमीन द्वितीय पक्ष कसिला देवी पति गजाधर ओहदार ग्राम सालेगुटू बक्सपुर थाना कामडारा जिला गुमला के द्वारा 06/04/2000 को लोहरा सिंह पिता स्व0 मधु सिंह उर्फ बुधू सिंह से खरीदा गया है और जमीन में दखलकार रहते हुए अंचल कार्यालय से उपरोक्त विवादित जमीन दाखिल खारिज हो चुका है जिसका केश नं0 22आर27/2004–2005 हैं। तथा जमीन का मालगुजारी रसीद 2021 तक कट चुका है। उपरोक्त जमीन में खरीददार कसिला देवी द्वितीय पक्ष अपने दखल के अनुसार खपरैल का घर बना कर सब परिवार रह रहे है दुकान घर का विवाल धंसा हुआ है उस दिवाल को मरम्मती किया जा रहा है। प्रथम पक्ष चतुर सिंह ने इस विवादित जमीन पर एक दिवानी मुकदमा किया है जिसका केश नं0 18/2018 है जो न्यायालय में लम्बित है। दिवानी मुकदमा लंबित को प्रथम पक्ष 144 दं0प्र0सं0 का मुकदमा किया है वह गैरकानूनी है तथा 144 दं0प्र0सं0 का मुकदमा खारिज होना चाहिए। यदि प्रथम पक्ष को जहॉ दिवानी मुकदमा चल रहा है वहीं आवेदन देना चाहिए न कि दूसरे न्यायालय में । पुलिस रिर्पोट के अनुसार में भी द्वितीय पक्ष के कागजात को जिक किया गया है और द्वितीय पक्ष है और द्वितीय पक्ष का ही दखल माना है।

द्वितीय पक्ष द्वारा निम्न कागजात प्रस्तुत किया गया है।

1. रजिस्ट्री पट्टा की छाया प्रति।
2. दाखिल खारिज की छाया प्रति।
3. ऑनलाईन पंजी II की छाया प्रति।
4. लगान रसीद।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब, कागजात, बहस सुनने एवं अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादगत् भूमि मौजा कामता थाना कामडारा जिला गुमला अन्तर्गत खाता सं0 55 प्लॉट सं0 1120 रकबा 0.10 एकड़ भूमि जिसमें द्वितीय पक्ष के द्वारा पुराने मकान के टुटने के कारण उसे मरम्मती

पर प्रथम पक्ष द्वारा आपत्ति करने को लेकर उत्पन्न विवाद से संबंधित है। उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के द्वारा वादगत भूमि को रैयत के वंशज लोहरा सिंह से रजिस्ट्री पट्टा से खरीद कर दखलकार है एवं अंचल कामडारा से दाखिल खारिज कराकर सरकार को उक्त भूमि का लगान देते आ रहे हैं। प्रथम पक्ष उक्त वादगत भूमि को बंटवारा नामा से वर्ष 2007 में प्राप्त किये है। बंटवारा नामा के आधार में वर्ष 2011 में अंचल कार्यालय, कामडारा में दाखिल खारिज कराया गया है, परन्तु उक्त दाखिल खारिज के पूर्व वर्ष 2000 में लोहरा सिंह के द्वारा उक्त वादगत भूमि को द्वितीय पक्ष को बिकी कर दिया गया है। लोहरा सिंह को उक्त वादगत भूमि बंटवारा नामा वर्ष 2011 में हिस्सा प्राप्त नहीं है।

अतः उक्त वादगत् भूमि मौजा कामता थाना कामडारा जिला गुमला अन्तर्गत खाता सं0 55 प्लॉट सं0 1120 रकबा 0.10 एकड़ भूमि स्वत्व से संबंधित है। स्वत्व निर्धारण हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है। वाद की समय अवधि समाप्त हो गई। वाद की कारवाई की समयअवधि में उभय पक्षो के बीच किसी प्रकार की घटना की सूचना थाना कामडारा एवं अन्य स्रोत से अप्राप्त है। अतः धारा 144 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही बिना गुण दोष के समाप्त किया जाता है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।

ज्ञापांकः– 701(ii) दिनांकः– 13/9/21

प्रतिलिपिः– थाना प्रभारी कामडारा के अप्राथमिकी सं002/2021 दिनांक 03/05/2021 के आलोक में उक्त वाद का आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुमण्डल पदाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by SANJAY PMKUJUR
Date: 2021.09.21 11:53:51 +05:30
Location: 192.168.3.239